

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-आव्हान निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
321/2024

दायर दिनांक
18.06.2024
उनवान

निर्णय दिनांक
03.07.2024


1. भगवानी पत्नी भैरूलाल नाई जाति नाई उम्र वयस्क निवासी उदलियास माफी तह0 सवाईपुर जिला भीलवाड़ा प्रार्थीया

बनाम

1. अमरचन्द पिता परथु बलाई जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी उदलियास माफी तह0 सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
2. शम्भु पिता देबीलाल बलाई जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी उदलियास माफी तह0 सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
3. श्यामलाल पिता परथु बलाई जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी उदलियास माफी तह0 सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
4. छोटु पिता मांगू बलाई जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी उदलियास माफी तह0 सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
5. गोपाल पिता रामा बलाई जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी उदलियास माफी तह0 सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
6. बाबुलाल पिता चान्दु मुसलमान जाति मुसलमान उम्र वयस्क निवासी उदलियास माफी तह0 सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
7. कैलाश पिता घिसुलाल पारीक जाति पारीक उम्र वयस्क निवासी उदलियास माफी तह0 सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
8. भैरू पिता घीसुलाल पारीक जाति पारीक उम्र वयस्क निवासी उदलियास माफी तह0 सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
9. सत्यनारायण पिता मथुरादास वैष्णव उम्र वयस्क निवासी उदलियास माफी तह0 सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
10. भैरूदास पिता मथुरादास वैष्णव उम्र वयस्क निवासी उदलियास माफी तह0 सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
11. गोपाल पिता भैरूलाल सेन जाति सेन उम्र वयस्क निवासी उदलियास माफी तह0 सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
12. नारायण पिता भैरूलाल सेन जाति सेन उम्र वयस्क निवासी उदलियास माफी तह0 सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
13. पुष्पेन्द्र पिता भंवरलाल पारीक जाति पारीक उम्र वयस्क निवासी उदलियास माफी तह0 सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
14. सफीर मुसलमान उम्र वयस्क निवासी उदलियास माफी तह0 सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
15. राजस्थान राज्य जरिये भू-धारक तहसीलदार सवाईपुर जिला भीलवाड़ा राज0

-विपक्षीगण

उपस्थित:-अधिवक्ता प्रार्थी दिनेश जैन
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 14 उपस्थित नहीं


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम :-


:- निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा उदलियास माफी प0ह0 सुठेपा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बडलियास तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2076-2079 के खाता संख्या 150 की अभिलिखित आराजियात 121, 125, 128, 133 कुल किता 04 कुल रकबा 1.4043 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 147 की आराजी संख्या 123 रकबा 0.0324 है0 भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।


इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 14 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा उदलियास माफी प0ह0 सुठेपा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बडलियास तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2076-2079 के खाता संख्या 150 की अभिलिखित आराजियात 121, 125, 128, 133 कुल किता 04 कुल रकबा 1.4043 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 147 की आराजी संख्या 123 रकबा 0.0324 है0 भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।


उपजमाद अधिकारी
भीलवाडा

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 03.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(आस्थाद निवृत्ति सोमनाथ)

उपस्थित अधिकारी एवं पदेन
भीलवाडा
सहायक कलक्टर
भीलवाडा